16271/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार

Rs. 25000 ...EES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232429

17 DEC 2012

16059

प्रथम

!! सत्यमेव जयते !!

<u>लेखपत्र दानपत्र (हिबैनामा) का संक्षिप्त विवरण :-</u>

1. स्टाम्प हेतु मालियत : 40,00,000/-रु.
2. स्टाम्प : 2,80,000/-रु.
3. स्थित : मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा।

नेत्रपाल सिंह

मि० रामवती

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232430

4. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : सड़क से दूर स्थित है।

5. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि

6. दान की गयी भूमि रकवा : 1.000 (एक) हैक्टेअर

7. उक्त क्षेत्र की जमीन का सरकारी रेट - 40,00,000/-रु. प्रति हैक्टेअर कार्य क्षेत्र उपनिबंधक प्रथम मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232431

17 DEC 2012

दानदाता प्रथम पक्ष का विवरण – 6

नाम : नरेन्द्र सिंह व सत्यपाल सिंह व राजपाल सिंह पुत्रगण स्व० श्री सोरन सिंह व श्रीमती मुख्त्यारी पत्नी श्री सोरन सिंह व नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० सोरन सिंह व श्रीमती रामवती पत्नी स्व० सोरन सिंह निवासीगण ग्राम महुअन तहसील व जिला मथुरा।

दानगृहीता द्वितीय पक्ष का विवरण – 1

नाम : एस० एम० बी० एल० एकेडमी महुअन तहसील व जिला मथुरा द्वारा सचिव श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री सोरन सिंह निवासी ग्राम महुअन तहसील व जिला मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

C 232432

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 DEC 2012

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1415-1420 के अनुसार खाता खतौनी संख्या 146 खसरा नंबर 127 रकवा 1.3620 हैक्टेअर लगानी कागजातानुसार, वाकै मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा, में हिस्सा रकवा 1.0120 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश मिल्कीयत प्रथम पक्ष की है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चले आते है तथा प्रथम पक्ष का ही उक्त आराजी भूमि पर कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी खसरा खतौनी में है और प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त हैं तथा सिवाय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

C 232433

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, मथुरा

17 DEC 2012

(5)

प्रथम पक्ष के उक्त कृषि भूमि का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है, न किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है तथा ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि के हस्तान्तरण व दान(हिबे) आदि करने में व्यवधान डाल सके। यानि प्रत्येक प्रकार के झगडे-झंझट, कर्जे आदि से पाक-साफ प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है। प्रथम पक्ष दानदाता शिक्षा प्रेमी हैं एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु यथाशक्ति शिक्षा क्षेत्र में मदद करता चला आ रहा हैं एवं द्वितीय पक्ष एक शिक्षण संस्था

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232434

है, जो शिक्षा के प्रचार-प्रसार व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय/कॉलेज की स्थापना हेतु कार्यरत व प्रयासरत है, द्वितीय पक्ष को शिक्षा के प्रचार-प्रसार व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय/कॉलेज को खोलने एवं संचालन हेतु भूमि की आवश्यकता है, जिसकी बाबत द्वितीय पक्ष दानगृहीता ने प्रथम पक्ष दानदाता के समक्ष अपनी शिक्षा संस्था उपरोक्त हेतु दान देने हेतु प्रार्थना की, तो प्रथम पक्ष दानदाता ने शिक्षा क्षेत्र में उक्त संस्था द्वारा किए गए कार्यों एवं प्रयासों से संतुष्ट होकर अपनी उक्त आराजी भूमि रकवा 1.0120 में से रकवा 1.000 (एक) हैक्टेअर को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

C 232435

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

द्वितीय पक्ष को दान देने का निर्णय लिया, जिसे दानदाता प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। अतः प्रथम पक्ष दानदाता ने अपनी उक्त आराजी भूमि रकवा 1.0120 में से रकवा 1.000 (एक) हैक्टेअर जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दिखाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष दानदाता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राईट्स समस्त हकूक व अधिकारों सहित बखुशी व राजी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232438

17 DEC 2012

अपने, कि जो सरकारी मालियती 40,00,000/-रु. (चालीस लाख रुपये) है, बहक द्वितीय पक्ष एस0 एम0 बी0 एल0 एकेडमी महुअन तहसील व जिला मथुरा द्वारा सचिव श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री सोरन सिंह निवासी ग्राम महुअन तहसील व जिला मथुरा दान गृहीता द्वितीय पक्ष के हक में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232437

दान(हिबै) कर दिया व दे दिया और कब्जा व दखल दान(हिबै) की गयी कृषि भूमि पर द्वितीय पक्ष दानगृहीता शिक्षण संस्था का वास्तविक कब्जा मालिकाना प्रथम पक्ष ने आज से अपने समान करा दिया और अपना कब्जा हटा लिया तथा द्वितीय पक्ष दानगृहीता ने उक्त भूमि रकवा 1.000 (एक) हैक्टेअर पर दान स्वीकार करते हुए अपना कब्जा व दखल मालिकाना प्राप्त करना स्वीकार कर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232436

कोषागार, मथुरा

17 DEC 2012

लिया और कब्जा व मालिकाना प्राप्त कर लिया। आज से द्वितीय पक्ष संस्था उक्त दान(हिबे) की गयी कृषि भूमि की एकमात्र स्वामिनी व मालिक प्रथम पक्ष के समान हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि उक्त दान की गयी आराजी भूमि की बाबत प्रयोग में लावे, उस पर ऋण लेवे, विक्रय करे और जिस प्रकार से चाहे प्रयोग करे और अपना नामान्तरण सरकारी कागजात

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

AC 373088

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, मथुरा
10 DEC 2012

(11)

खसरा खतौनी में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे और जो चाहे सो करे। अब प्रथम पक्ष का दान(हिवै) किये गये उक्त कृषि भूमि में कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति या प्रथम पक्ष का वारिस, दान(हिवै) किये गये उक्त कृषि भूमि की बाबत कोई दावा या झगडा उत्पन्न करे तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा कोई दावा या झगडा या झंझट होता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

AC 373078

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार मथुरा

10 DEC 2012

की भूमि नहीं है। उक्त दान की गयी भूमि में कोई पेड़, बोरिंग, कुँआ, ट्यूब्वैल आदि नहीं है। दानदाता प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

AC 373079

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, मथुरा

10 DEC 2012

(14)

है। उक्त दान की गयी भूमि में कृषि कार्य हो रहा है और कृषि के उपयोग में ही आ रही है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 373086

कोषागार, मथुरा 10 DEC 2012

(15)

अतः यह दानपत्र (हिबैनामा) हम दोनों पक्षों ने वखुशी वराजी स्वेच्छापूर्वक लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। मुकर्रिर है कि उक्त दस्तावेज पक्षगणों के कहे अनुसार तैयार व टाईप किया गया है, जिसको पक्षगण व गवाहों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया है,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 373087

(16)

पक्षगण व गवाहान ने पढ़कर सुनकर समझकर दस्तावेज पर निष्पादन एवं स्वीकृति के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा किए हैं।

दिनांक : 17.12,2012

टाईप किया : के0 के0 शर्मा, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : मनोज चौधरी, एडवोकेट, मथुरा।

गवाह दिलीप चौधरी पुत्र श्री रमेश चौधरी निवासी महाराजपुरी कॉलोनी मथुरा Dilip

गवाह अंकुर सक्सेना पुत्र श्री प्रदीप सक्सेना निवासी महाराजपुरी कॉलोनी मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 373089

कोषागार, मथुरा
10 DEC 2012
कोष अधिकारी
मथुरा

है तो वह इस प्रलेख दानपत्र के आगे कानूनन नाजायज व अमान्य माना जावेगा। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आवंटन

नि० सुखदेवारी नेत्रपाल सिंह

नि० रामवती

आज दिनांक **17/12/2012** को

बही सं **1** जिल्द सं **5240**

पृष्ठ सं **301** से **334** पर क्रमांक **15271**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कंचन मिश्रा

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

17/12/2012